सख्या-10/2024/850/57/2024-1111/2023

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
धर्मार्थ कार्य विभाग निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, वाराणसी।

2. **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

धर्मार्थ कार्य अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 23 अप्रैल, 2024**

विषयः-प्रदेश के धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं विकास के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि धार्मिक स्थलों में आवागमन को सुगम बनाने हेतु धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं विकास हेतु लोक निर्माण विभाग के आय-व्ययक में एकमुश्त बजट व्यवस्था है। लोक निर्माण विभाग द्वारा धर्मार्थ कार्य विभाग की संस्तुति के आधार पर इन धर्मार्थ मार्गो का निर्माण/सुदृढ़ीकरण किया जाता है।

2- यह देखा गया है कि धर्मार्थ मार्गों के चिन्हांकन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी एवं अन्य स्तरों से जो प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाते है, उसमें उन मार्गों का भी धर्मार्थ मार्ग के रूप में निर्माण/सुदृढ़ीकरण कराये जाने का प्रस्ताव कर दिया जाता है, जिनका निर्माण/सुदृढ़ीकरण अन्य योजनाओं यथा-जिला मार्ग, ग्रामीण सम्पर्क मार्ग, बुन्देलखण्ड विकास निधि, पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उन धर्म स्थलों से सम्बन्धित मार्गों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण की भी संस्तुति कर दी जाती है, जो पहले से ही कनेक्टिविटी से आच्छादित है।

3- अतः प्रकरण में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढीकरण एवं विकास हेतु चिन्हांकन के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

1. इसके अन्तर्गत उन्ही मार्गों का निर्माण/ चौड़ीकरण /सुदृढ़ीकरण किया जायेगा, जो पर्यटन/धर्माटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। जहाँ भारी संख्या में वाहनों का आवागमन बढ़ गया है एवं यातायात में असुविधा हो रही है।
2. प्रदेश में पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित 12 पर्यटन परिपथों से सम्बन्धित धार्मिक महत्व के पर्यटन गन्तव्यों से सम्बन्धित मार्गों का भी निर्माण कराया जा सकेगा, जहां सड़क मार्ग सकरे होने से सड़क जाम अथवा यातायात बाधित होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
3. इन मार्गों पर कोई विशिष्ट महत्व का धार्मिक स्थल स्थित होगा, जिसका ऐतिहासिक/पौराणिक/ आध्यात्मिक व धार्मिक महत्व होगा तथा उक्त स्थल पर प्रतिवर्ष कम से कम 05 लाख श्रद्धालु आते होंगे।
4. इसके अन्तर्गत निर्माण हेतु सामान्यतः उस मार्ग का चयन किया जायेगा, जो वर्तमान में किसी भी ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग से, किसी सम्पर्क मार्ग से न जुड़ा हो। यदि उक्त मार्ग किसी ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हो, लेकिन उस मार्ग पर वाहनों की संख्या बढ़ गयी हो, तो उसके चौड़ीकरण पर विचार किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा किसी विशेषज्ञ एजेन्सी से वर्तमान यातायात सर्वेक्षण कराकर वाहनों की प्रतिदिन व विशेष अवसरों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

की संख्या/भविष्य में यातायात वृद्धि सम्बन्धी आख्या प्राप्त कर चौड़ीकरण की संस्तुति की जायेगी।

5. इस योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मार्ग को किसी एक राज्य राजमार्ग/राष्ट्रीय मार्ग तक जोड़ा जायेगा अथवा सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

6. द्विरावृत्ति रोकने के दृष्टिगत इस योजना के अन्तर्गत उन्ही मार्गों का सुदृढ़ीकरण/ चौड़ीकरण /निर्माण कार्य किया जायेगा, जो किसी अन्य योजनाओं/निधियों से आच्छादित न हो। संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा धर्मार्थ मार्गों के प्रस्ताव प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त मार्ग का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/ चौड़ीकरण जनपद में अन्य किसी योजना/निधियों यथा- पूर्वांचल विकास निधि, बुन्देलखण्ड विकास निधि, त्वरित आर्थिक विकास योजना, लोक निर्माण विभाग, विकास प्राधिकरणों, नगर निकायों, गन्ना विभाग, मण्डी परिषद/पंचायतों की निधियों आदि से कराया जाना सम्भव न हों।

7. उपरोक्त के दृष्टिगत जिलाधिकारी द्वारा मार्गो के धार्मिक महत्व का परीक्षण करते हुए निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय/धर्मार्थ कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन को संलग्न प्रारूप पर प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जायेगा।

8. विभिन्न जनपदों से प्राप्त प्रस्तावों को प्रमुख सचिव धर्मार्थ कार्य विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका स्वरूप निम्नवत् होगाः-

1	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, धर्मार्थ कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग या उनके द्वारा नामित विशेष सचिव से अनिम्न अधिकारी।	सदस्य
3	निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ0प्र0।	सदस्य
4	संयुक्त निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय।	सदस्य सचिव

9. उपरोक्त समिति द्वारा संस्तुत मार्गो को सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

10. यह दिशा-निर्देश वित्तीय वर्ष 2024-25 से लागू होगा।

11. पूर्व में लोक निर्माण विभाग को प्रेषित संस्तुति में जिन मार्गों में इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि तक निर्माण/सुदृढ़ीकरण/ चौड़ीकरण का कार्य स्वीकृत अथवा प्रारम्भ नहीं हुआ है, उन मार्गों के सम्बन्ध में इन दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत पुनः परीक्षण कराकर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

4- इस सबन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि धर्मार्थ मार्गो के चौड़ीकरण, सुदृढीकरण एवं विकास हेतु उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार परीक्षण करते हुए निर्धारित प्रारूप में आवश्यक सूचना/सामग्री सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 10/2024/ 850/57/2024-1111/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-10/2024/850/57/2024-1111/2023, दिनांक 23.04.2024 का संलग्नक-

धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं विकास हेतु प्रस्ताव का प्रारूप-

---

1	जनपद का नाम	
2	प्रस्तावित मार्ग का नाम (प्रारम्भ व अन्त बिन्दु सहित) तथा चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं विकास का औचित्य	
3	प्रस्तावित मार्ग की लम्बाई व चौड़ाई	
4	प्रस्तावित मार्ग से जुड़े धर्म स्थल का नाम	
5	धर्म स्थल का ऐतिहासिक/पौराणिक/आध्यात्मिक एवं धार्मिक महत्व एवं उसका संक्षिप्त इतिहास।	
6	उक्त धर्म स्थल पर प्रतिवर्ष आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या	
7	उक्त मार्ग से निकटतम राजमार्ग/राष्ट्रीय मार्ग का नाम तथा उससे दूरी	
8	धर्म स्थल का नवीनतम् फोटोग्राफ तथा उक्त स्थल का Drone Video View (यथा सम्भव हार्ड कॉपी/सॉफ्ट कॉपी प्रेषित की जाये)	
9	प्रस्तावित मार्ग के Drone View की सॉफ्ट कॉपी	
10	प्रस्तावित मार्ग का जनपद की अन्य योजना/निधि से निर्माण सम्भव न होने का कारण।	
11	अन्य कोई बिन्दु, जिसका उल्लेख किया जाना अपेक्षित हों, का विवरण।	

जिलाधिकारी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।